फर्द अहकाम

रामनिवास बनाम सरकार

ग्राम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 21/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. P.O. का अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] दिनांक 30/7/24 को पेश हो।	
	30/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. पत्रावली आदेश से विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व बहस को मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कॉलम नम्बर [illegible] रजिस्टर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

Y3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 21/2022	तारीख दायर 22/02/2022	तारीख फैसला 12.08.2024

1. रामनिवास पुत्र हरसहाय जाति मीणा निवासी नांगलतेजसिंह, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राज सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आंधी, जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. रामकरण पुत्र भौरया
3. रामदयाल पुत्र भौरया
4. पार्वती पत्नि भौरया
   जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलतेजसिंह, तहसील आंधी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. सुरेश कुमार पुत्र नारायण
6. मुकेश कुमार पुत्र नारायण
   जाति मीणा निवासी ग्राम कुशलपुरा, रायसर, तहसील आंधी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री रामस्वरूप शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 5 व 6

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नांगलतेजसिंह पटवार हल्का मंहगी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा के मिन खसरा नम्बर 62/109 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि हाल नवीन खसरा नम्बर 142 रकाब 1.4200है0 अनुसार प्रार्थी के खातेदारी अनुसार स्थित है। जिसके राजस्व नक्शें में प्रार्थी के खातेदारी के रकबा बरार एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक अधिकार के विपरित त्रुटिपूर्ण तरमीम होने से आगे वादग्रस्त भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा के मिन खसरा नम्बर 62/109 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि को बतौर खातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के हकपूर्वक भौरया पुत्र नानगा ने प्रार्थी के पिता हरसहाय पुत्र सुजाराम के हित में जरिये पंजिकृत विकय पत्र विकय कर दिया, जिसके आधा पर खातेदारी अंकित होने पर खसरा नम्बर 62/109 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा की पासबुक जारी की गइ। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 है। जिसके बतौर विरासत प्रार्थी खातेदार है। जिसके विरूद्व अप्रार्थीगण का कोई लेना देना व संबंध सरोकार नही है। उक्तरोकत वर्णित प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि के पश्चात खसरा नम्बर 62 रकाब 23 बीघा 11 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल कायम है। साबिक खसरा नं0 62 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा मे से बतौर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

(213)

अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 5 व 6 के पिता नारायण पुत्र भगता के हित मे रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अर्थात रकबा 0.28है0 संन 1999 के विक्रय कर दिया। जिसके अनुशरण मे वर्तमान खसरा नं0 139 रकबा 5.63है0 एवं खसरा नम्बर 174/139 रकबा 0.28है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 के खातेदारी अंकित हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 142 साबिक खसरा नम्बर 62/109 के खातेदारी रकबा बरारी के विपरीत लिपिकीए त्रुटि के द्वारा राजस्व नक्शे की तरमीम करते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि को वर्तमान खसरा नम्बर 139 रकबा 5.63है0 एवं खसरा नम्बर 174/139 रकबा 0.28है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 के खातेदारी अंकित हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 142 साबिक खसरा नम्बर 62/109 के खातेदारी रकबा बरारी के विपरित लिपिकीए त्रुटि के द्वारा राजस्व नक्शे की तरमीम करते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि को वर्तमान खसरा नम्बर 139 साबिक खसरा नम्बर 62 के नक्शें त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया। जिससे वर्तमान खसरा नम्बर 142 मे प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम कराने एवं तदानुसार खसरा नमबर 139 के राजस्व नक्शें को दुरूस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी है। खसरा नम्बर 142 के राजस्व नक्शें मे खातेदारी के रकबा से भूमि कम है तथा खसरा नम्बर 139 के राजस्व नक्शे मे प्रार्थी खातेदारी भूमि शामिल होकर तरमीम है। इस प्रकार से प्रार्थी के खसरा नम्बर 142 की भूमि वर्तमान खसरा नमबर 139 के नक्शें शामिल है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 139 के नक्शे मे शामिल होकर स्थित है। चुकि खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 मे से रकबा 0.28है0 भूमि अप्रार्थी सं0 5 व 6 के खातेदारी मे अंकित होकर जमाबन्दी खतौनी राजस्व विभाग द्वारा परिशोधन किया गया है। लेकिन अप्रार्थी सं0 5 व 6 अपने खसरा नम्बर 174/139 में अपनी भूमि की नवीन तरमीम कराने एवं प्रार्थी को मौके कब्जे से बेदखल करने पर आमदा फिसाद है, जिसका अधिकार अप्रार्थी सं0 5 व 6 को नही है। वर्तमान खसरा नम्बर 142 के वर्तमान नक्शें के पूर्व व दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 139 के नक्शें त्रुटिपूर्ण तरमीम द्वारा शामिल प्रार्थी की भूमि को खसरा नम्बर 142 के वर्तमान नक्शें मे शामिल कर खातेदारी के रकबा बरारी अनुसार नक्शें मे कमीपूर्ति के द्वारा तरमीम कराने का प्रार्थी अधिकारी है तथा अप्रार्थी सं0 5 व 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174/139 के राजस्व नक्शें को खसरा नमबर 139 के नक्शें मे मुताबिक रकबा बरारी तरमीम किया जाना चाहिए। जिसके अनुसार ही वर्तमान खसरा नमबर 139, 174/139 एवं 142 के राजस्व नक्शों के रकबा बरारी अनुसार तरमीम कायम करना चाहिए, जो कि राजस्व विभाग की लिपिकीये त्रुटि व भूल रही है। अतः ग्राम नांगलतेजसिह में हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 के रकबा बरारी अनुसार तरमीम करने के आदेश दिया जाकर खसरा नम्बर 142 के वर्तमान नक्शें को पूर्व एवं दक्षिण दिशा में खातेदारी रकबा बरारी अनुसार बढात हुए खसरा नम्बर 139 के राजस्व नक्शें में दुरूस्तीकरण करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 अनुपस्थित। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/ आर.टी./2024/64 दिनांक 07.02.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश किया जो अन्य मुकदमा नं0 84/2019 बउनवान नारायण बनाम सरकार वगै0 में संलग्न है। पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2076 ग्राम नांगलतेजसिंह के हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है किस्म चाही प्रेम देवी पत्नि हरसहाय हिस्सा 1/2 व रामनिवास पुत्र हरसहाय हि0 1/2 जाति मीना सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 किस्म चाही 1 जमाबन्दी अनुसार नारायण पुत्र भक्ता हिस्सा 28/591 व रामकरण, रामदयाल पि0 भौरया, पार्वती पत्नी भौरया के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 के साबिक खसरा नम्बर 62/109 रकबा 5.91है0 से बने है तथा हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 के साबिक खसरा नम्बर 62/109 रकबा 1.42है0 से बने है। मुताबिक खतौनी एकीकरण के साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 29 बिघा 03 बिस्वा भौरया पुत्र नानगा जाति मीना सा0देह के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रहा है। तत्पश्चात नामा0 सं0 43 जरिये विक्रय पत्र से साबिक खसरा नम्बर 62 कुल रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

3/3

12 बिस्वा भूमि हरसहाय पुत्र सूजा जाति मीना सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड होकर अमल हुई तथा शेष रकबा 23 बिघा 11 बिस्वा बदस्तुर खातेदार भौरया पुत्र नानगा के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रही तत्पश्चात खातेदार भौरया फौत होने के कारण जरिये विरासत खसरा नम्बर 62 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा भूमि रामकरण पुत्र भौरया के नाम, राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई तत्पश्चात खातेदार रामकरण पुत्र भौरया के द्वारा 23 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि नारायण पुत्र भगता जाति मीना सा0देह के पक्ष में किये जाने पर नामा0 सं0 85 दिनांक 23.09.1999 दर्ज व स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड अमल हुआ तत्पश्चात नामा0 सं0 173 दिनांक 03.01.2010 जरिये डिकी आदेश खसरा नम्बर 62 रकबा 22 बिघा 09 बिस्वा रामकरण पुत्र भौरया के हिस्से पूर्ण के बजाय रामकरण पुत्र भौरया हिस्सा 1/3 रामदयाल हि0 1/3 पार्वती पत्नी भौरया हि0 1/3 के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा में 5 बीघा 12 बिस्वा हरसहाय पुत्र सूजा जिसका खसरा नम्बर 62/109 डाले गये एवं हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1 42 है0 मिलान क्षैत्रफल अनुसार है जबकि साबिक खसरा नम्बर शेष रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा मे 1 बीघा 2 बिस्वा नारायण पुत्र भगता खसरा नम्बर 62/2 डाले गये एवं हाल खसरा नम्बर 174/139 जमाबन्दी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 174/139 रकबा 0.28है0 व खसरा नम्बर 139 रकबा 5.63है0 को हाल में डीआईएलएमपी के तहत वन टू वन मैपिंग उत्पन्न तरमीम समस्या के कारणवश एक खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 (0.28+5.63) किया गया। गत साबिक नक्शा एकीकरण मे साबिक खसरा नम्बर 62 एक ही खसरा नम्बर तरमीम शुदा था, साबिक नक्शें में वेचान से बने नये साबिक खसरा नम्बर 62/2, 62/109 तरमीम नही है, तत्पश्चात भू प्रबंध विभाग द्वारा बाद सेटलमेंट उक्त खसरा नम्बर 62/109 के नये हाल खसरा नम्बर 142 की तरमीम की गई जो मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौका अनुसार नही है। हाल राजस्व नक्शें मे खसरा नम्बर 139 की रकबा बरारी करने पर 6.18है0 रकबा प्राप्त होता है जबकि राजस्व रिकार्ड दर्ज रकबा 5.91है0 है तथा हाल खसरा नम्बर 142 की रकबा बरारी करने पर लगभग 1.20है0 रकबा प्राप्त होता है जबकि जमाबन्दी में दर्ज रकबा 1.42है0 है। उक्त खसरा नम्बर 142 के मौके पर संलग्न नक्शा उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण नारायण बनाम सरकार का लगभग 0.28है0 भूमि पर कब्जा काश्त है। हाल राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 142 की तरमीम जमाबन्दी रकबे से लगभग 0.22है0 कम है एवं आंशिक तरमीम मौके अनुसार नही है। मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौका अनुसार हाल खसरा नम्बर 139, 174/139 व 142 की तरमीम दुरूस्त किये जाने योग्य है। मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौकानुसार हाल राजस्व नक्शें संलग्न नजरी नक्शानुसार हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5,63है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.28है0, खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 की तरमीम दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी सं0 5 व 6 ने जवाब न देकर सीधी बहस की। वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, पैराकार सरकार के जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम नांगलतेजसिंह, पटवार मण्डल मंहगी, तहसील आंधी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 5.63है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.28है0 व खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 को मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौकानुसार हाल राजस्व नक्शें में मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार नक्शा दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़